

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

①

क्रमांक: शिविरा-मा /पीएसपी-सी /अ-2 /60567 /सीवीएसई एनओसी/2024-25

दिनांक: यथा हस्ताक्षर

TO

विद्यालय का नाम :- PYARI DEVI TAPARIA SEN. SEC. SCHOOL
JASWANTGARH NAGAU (P36096)

विद्यालय का वर्तमान पता :- STREET NO 4 JASWANTGARH

संस्था का नाम :- PYARI DEVI TAPARIA SHIKSHAN SANSTHAN
JASWANTGARH

आवेदन क्रमांक :- 50057

From

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

एनओसी कोड:- RJNGR35571

Sir/Madam,

विषय:- सत्र 2024-25 के लिए सी.वी.एस.सी.ई./सी.आई.एस.सी.ई./सी.आई.एस.सी.ई. नई दिल्ली से संबद्धता प्राप्त करने हेतु गैर सरकारी विद्यालय PYARI DEVI TAPARIA SEN. SEC. SCHOOL JASWANTGARH NAGAU (P36096) STREET NO 4 JASWANTGARH को अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

संदर्भ:- राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं नियम 2011 तथा राजस्थान गैर सरकारी शिक्षक संस्था अधिनियम 1989, नियम 1993 के अधीन उप पंजीयक कार्यालय द्वारा पंजीयक संस्था PYARI DEVI TAPARIA SHIKSHAN SANSTHAN JASWANTGARH के अन्तर्गत संचालित गैर सरकारी विद्यालय PYARI DEVI TAPARIA SEN. SEC. SCHOOL JASWANTGARH NAGAU (P36096) को शैक्षिक सत्र 2024-25 से प्रदत्त कक्षा 01 से 08 तक की मान्यता के संदर्भ में।

विद्यालय का विवरण -

विद्यालय का नाम -	PYARI DEVI TAPARIA SEN. SEC. SCHOOL JASWANTGARH NAGAU (P36096)
सर्वे संख्या /प्लॉट संख्या / खसरा संख्या / पता -	STREET NO 4 JASWANTGARH
गांव/शहर -	JASWANTGARH
तहसील/कस्बा -	LADNU
मान्यता कोड -	RJNGR35571
विद्यालय का पीएसपी कोड	P36096

नोट: गैर सरकारी विद्यालय / सी.वी.एस.सी.ई. (मा.शि.) / निदेशालय कार्यालय द्वारा इस वेबसाइट पर अपलोड किए गए 'डेटा' की शुद्धता के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अस्वीकार करता है। डेटा में किसी भी प्रकार की विसंगति के लिए स्कूल / सी.वी.एस.सी.ई. / निदेशालय जिम्मेदार होगा।

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

1

प्रमाण-पत्र

सत्र 2024-25 हेतु CBSE/CISCE/CAIE नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के पत्रांक : प.14(वि)शिक्षा-1/2009/गार्ट-B दिनांक : 30.03.2022 की पालना में गैर सरकारी विद्यालयों को उनके नाम के सामूहिक सत्र, माध्यम, कक्षा स्तर, समय, विषय आदि के लिए CBSE/CISCE/CAIE से सम्बद्धता प्राप्ति हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

- उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल वर्ष 2024-25 के लिए ही मान्य होगा।
- विद्यालय/संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 तथा संशोधित नियम-2011 की पालना की जायेगी।
- विद्यालय/ संस्था द्वारा राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी निर्भर करेगी।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बालवाहिनियों के क्रम में जारी किए गए दिशा-निर्देशों की अधरक्ष: पालना की जायेगी।
- विद्यालय/संस्था द्वारा भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसरण में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों / नियमों की अधरक्ष: पालना की जायेगी। इसके तहत 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को नि:शुल्क प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा एवं आरटीई प्रवेशित से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना सुनिश्चित करना होगा।
- विद्यालय द्वारा (डे स्कूल/वोर्सिंग) कक्षा 1 से ही कक्षाओं का संचालन मांगता प्रदत्त स्तर तक किया जाना होगा।
- विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से मान्यता प्राप्त है तो CBSE/CISCE/CAIE से सम्बद्धता मिलने पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर को सूचित करना होगा। साथ ही विद्यालय की राजस्थान बोर्ड से संबद्धता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
- विद्यालय में अधिशासन चक्र स्थापित किया जाना एवं इसके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाना होगा।
- विद्यालय/संस्था परिसर में भोबार्ड टावर स्थापित नहीं करेगी।
- राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम - 2016 नियम 2017 में वर्णित शर्तों की पालना की जानी होगी।
- राज्य सरकार एवं राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय का समय-समय पर निरीक्षण किया जा सकेगा तथा समय-समय पर विभाग एवं शासन द्वारा कलित रिकार्ड एवं दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
- विद्यालय में दिव्यांग जनों के लिए रैम्प एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवायी जायेगी।
- भारत सरकार/राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना की जानी होगी।
- भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता होने पर विद्यालय भवन का अधिग्रहण/उपयोग राजकीय कार्य के लिए किया जा सकेगा।
- विद्यालय द्वारा मान्यता/कमोत्रति प्राप्त कक्षा स्तर तक ही अनापत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- शिबिरा कैलेंडर में जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

नोट:- अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में जारी शासन के पत्र दिनांक..... के क्रम में यदि सशर्त स्वीकृति दी गई है तो उन शर्तों की पालना करनी अनिवार्य होगी।

उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं किए जाने पर विभाग द्वारा राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम-1989 एवं नियम 1993 एवं संशोधित नियम 2011 के तहत विद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए विद्यालयों को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा। जिसके परिणाम स्वरूप उक्त संस्था राज्य में विद्यालय का संचालन नहीं कर सकेगी।

जिला	NAGAUR	ब्लॉक	LADNU
विद्यालय का नाम	PYARI DEVI TAPARIA SEN. SEC. SCHOOL JASWANTGARH NAGAUR (P36096)		
संबंधता (CBSE/CISCE/CAIE)	CBSE		
एन.ओ.सी. प्रमाण जारी करने का सत्र	2024-25	माध्यम	Both (Hindi/English)
विद्यालय मान्यता प्राप्त स्तर	Sr. Secondary (1-12)	एन.ओ.सी. हेतु कक्षा स्तर	Sr. Secondary (1-12)

नोट:- उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग विद्यालय को विभाग द्वारा जारी मान्यता कक्षा स्तर/समय/विषय/माध्यम के संबंध में ही उपयोग किये जाने हेतु संबद्धता की एनओसी प्रदान की जाती है।

The Section and its record shall be opened for inspection by an Officer/Official of the Board or an authorized representative of Board/State educational Department at any time and the school shall furnish information as may be asked for by the Board/State Government from time to time.

The school Management shall be having full responsibility if any court case arise in this regard. The details furnished if any by the management is found to be false or incorrect at any stage, this No Objection Certificate is liable to be cancelled



निदेशक
आई ए एस
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

नोट: NIC विभिन्न स्कूलों / डीईओ (मा.शि.) / निदेशालय कार्यालय द्वारा इस वेबसाइट पर अपलोड किए गए डाटा की शुद्धता के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी ज़रूरीकार करता है। डाटा में किसी भी प्रकार की विसंगति के लिए स्कूल / डीईओ(मा.शि.) / निदेशालय जिम्मेदार होंगे।

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा./पीएसपी/अ-2/सीबीएसई/60567/50057/2024-25/35648

दिनांक: यथा हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक, नागौर

विषय : गैर सरकारी विद्यालय गैर सरकारी विद्यालय प्यारी देवी तापडिया विद्यालय जसवंतगढ लाडनू के संबंध में।

प्रसंग: आपका पत्रांक : जिशिअ/मुमा/मान्यता/2025-26/1059 दिनांक 03.07.2025

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में गैर सरकारी विद्यालय प्यारी देवी तापडिया उ.मा. विद्यालय जसवंतगढ लाडनू (नाम परिवर्तन उपरांत विद्यालय का नाम- TAPARIA VIDYA MANDIR) के संबंध में आपके कार्यालय से प्राप्त अनुशंसा अनुसार सीबीएसई एनओसी के प्रमाण पत्र में आवश्यक संशोधन अग्रानुसार किया जाता है।

क्र.स.	नाम एवं स्थान परिवर्तन से पूर्व विद्यालय का नाम एवं पता	नाम एवं स्थान परिवर्तन आदेश दिनांक 17.02.2025 में विद्यालय का नाम एवं पता	एनओसी आदेश दिनांक 02.03.2025 में विद्यालय का नाम व पता	स्वीकृत संशोधन
01	NAME - Pyari Devi Taparia Sr. Sec. School, Jaswantgarh Nagaur ADD.:- NEAR KASUMBI PULIA NH 58 JASWANTGARH	TAPARIA VIDYA MANDIR ADD.:- NH-58, NEAR KASUMBI PULIA, JASWANTGARH - TAHSIL LADNUN DIST. DIDWANA, RAJASTHAN - 341304	NAME - Pyari Devi Taparia Sen. Sec. School, Jaswantgarh Nagaur ADD.:- Street No 4 Jaswantgarh	NAME - TAPARIA VIDYA MANDIR ADD.:- NH-58, NEAR KASUMBI PULIA, JASWANTGARH TAHSIL - LADNUN DIST. DIDWANA, RAJASTHAN - 341304

जिला शिक्षा अधिकारी (पीएसपी)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली।
2. संस्था सचिव, तापडिया विद्या मंदिर, जसवंतगढ, डीडवाना

Signature valid

Digitally signed by Sharma (पीएसपी)
Sharma
Designation : District Education Officer
Date: 2025.07.16 14:02:08 IST
Reason: Approved

